क्रम-संख्या--232 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 04 जुलाई, 2008
आषाढ़ 13, 1930 शेक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4

संख्या 1397/30-4-2008-25पी-77
लखनऊ, 04 जुलाई, 2008

अधिसूचना

सा०प०नि०--39

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राज्यपाल निदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या का०आ०52(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2002 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 1772 / 30-4-2007-25पी / 77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग और सदस्य, उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग को, राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में वर्णित "श्रेणी-क" में स्थापित करते हुए, उनको ले जा रहे वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर स्थापित फ्लैशर युक्त लाल बत्ती, जब वाहन प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो, के प्रयोग की अनुज्ञा होगी।

आज्ञा से,
देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 343 राजपत्र (हि०)-(722)-2008-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 5 सा० परिवहन-(723)-2008-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।